कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265615-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/ 1179 दिनांकः– 08/09/23

–:कार्यवाही विवरण:–

विषयः– भवन मानचित्र समिति जोन–1 (ले–आउट प्लान) की 22/2023 की बैठक दिनांक 05.09.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

एजेण्डा

विषयः– भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले–आउट प्लान) की जोन–1 की 15/2023 वीं बैठक दिनांक 06.07.2023 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णयः– **समिति द्वारा विचार–विमर्श उपरांत सर्व–सम्मति से गत बैठक दिनांक 06.07.2023 में लिए गए निर्णय की पुष्टि करते हुए जारी कार्यवाही विवरण के अनुमोदन करने का निर्णय लिया गय**

एजेण्डा संख्या 01 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.09.2023	जोन–1	नान्दडी	79/2	06.10.00 बीघा	व्यवसायिक एकल (कॉमर्सियल कॉम्पलेक्स)
आवेदक	श्रीमती सुषमा पत्नी श्री विरेन्द्र कुमार गर्ग				
विषयः–	राजस्व ग्राम नान्दडी के खसरा संख्या 79/2 रकबा 06.10.00 बीघा में व्यवसायिक एकल (कॉमर्सियल कॉम्पलेक्स) प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर/जोनल डवलपमेन्ट प्लान अनुसार 48 मीटर रखी जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु सडक मध्य से 24 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि में से आरक्षित रखी जावें। 2. आवेदित भूमि के दक्षिण व पश्चिम दिशा में स्थित रास्ते को जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 18 मीटर रखे जाने हेतु रास्ते के मध्य से 9 मीटर भूमि प्रार्थी की भूमि में से निशुल्क आरक्षित रखी जावे। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें । 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। 5. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।				

एजेण्डा संख्या 02 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.09.2023	जोन–1	बनाड़	418/2	31.05.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री लक्ष्मणराम पुत्र श्री बस्तीराम वगैरहा				
विषयः–	राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 418/2 रकबा 31.05.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				

निर्णयः—	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त प्रकरण में प्राधिकरण स्तर पर निदेशक विधि, जोन उपायुक्त, सहायक नगर नियोजक, तहसीलदार व आर.आई. की समिति का गठन कर उक्त समिति की रिपोर्ट उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 03 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.09.2023	जोन–1	बनाड़	444/1/1	04.14.00 बीघा में से 910.30 वर्गमीटर	आवासीय एकल
आवेदक	श्री भंवरलाल, श्री लिखमाराम, श्री सुजाराम, श्री चन्दाराम व श्री गिरधारीराम पुत्रान् स्वं श्री हरजीराम				
विषयः–	राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 444/1/1 रकबा 04.14.00 बीघा में से 910.30 वर्गमीटर में आवासीय एकल प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौडाई पूर्व कंमिटमेंट अनुसार 40 रखे जाने हेतु सडक मध्य से 20 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि निशुल्क आरक्षित रखी जावें। 2. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। 5. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

एजेण्डा संख्या 04 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.09.2023	जोन–1	बनाड़	290/9, 290/17 व 290/18	05.00.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री महेश कुमार दयानी पुत्र श्री मंछाराम, श्री हेमन्त दयानी पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार सिंधी				
विषयः–	राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 290/9, 290/17 व 290/18 रकबा 05.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 2. आवेदित भूमि में से गुजर रही एच.टी विद्युत लाईन की क्षमता एवं स्थिति की रिपोर्ट जोन से प्राप्त कर नियमानुसार सेफ्टी कॉरीडोर एवम् सेफ्टी कॉरीडोर सहारे सड़क का प्रावधान किया जावें।				

	3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 5. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें। 6. योजना का क्षेत्रफल 2 है0 से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 7. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्वित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 10. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोवाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।

एजेण्डा संख्या 05 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.09.2023	जोन–1	बनाड़	310/14	03.11.10 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री ओमेश कुमार, श्री सीताराम पि. शंकरलाल, सन्तु पत्नी श्री कैलाशचन्द्र, भगवानराम, विशाल, कार्तिक पि. कैलाशचन्द्र, रेणुका पुत्री कैलाशचन्द्र				
विषयः–	राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 310/14 रकबा 03.11.10 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से पहुँच मार्ग दर्शाया गया है, उक्त पहुँच मार्ग को मौके पर अवरूद्ध किया गया है। अतः जोन उपायुक्त द्वारा रास्ते को निरन्तर किये जाने हेतु सम्बधित को नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया। आवेदित भूमि को मौके पर पहुँच मार्ग उपलब्ध होने के उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।**				

एजेण्डा संख्या 06 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.09.2023	जोन–1	नान्दडा कलां	187/10, 187/3	10.12.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्रीमती तीजादेवी पत्नी श्री निम्बाराम उर्फ श्री नेमीचन्द, श्री किशनाराम पुत्र श्री चौथाराम जरिये रजिस्टर्ड आम–मुख्त्यार श्रीमती दिव्या भारती पत्नी श्री राजेन्द्र जी व श्री चम्पालाल पुत्र श्री लूणाराम				
विषयः–	राजस्व ग्राम नान्दडा कलां के खसरा संख्या 187/10, 187/3 रकबा 10.12.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–**				

	1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौडाई पूर्व कंमिटमेंट एवम् जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 18 मीटर रखी जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से निशुल्क आरक्षित रखी जावें। 2. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 3. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें। 4. योजना का क्षेत्रफल 2 है0 से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 5. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 6. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 9. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।

एजेण्डा संख्या 07 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.09.2023	जोन–1	नान्दडा कलां	192 / 1	15.15.00 बीघा में से 08.17.03 बीघा	आवासीय योजना

आवेदक	श्री कालूराम पुत्र श्री पुरखाराम
विषयः–	राजस्व ग्राम नान्दडा कलां के खसरा संख्या 192 / 1 रकबा 15.15.00 बीघा में से 08.17.03 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौडाई पूर्व कंमिटमेंट एवम् जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर रखी जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से निशुल्क आरक्षित रखी जावें। 2. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 3. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें। 4. योजना का क्षेत्रफल 2 है0 से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 5. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।

	6. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 9. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।

एजेण्डा संख्या 08 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.09.2023	जोन–1	उचियारड़ा	76, 66/5/1, 66/6	54.03.04 बीघा	फार्म हाउस एकल
आवेदक	श्री हनुमान सिंह भाटी पुत्र स्वं श्री शिवदान भाटी, श्रीमती उमराव पत्नी श्री हनुमानसिंह भाटी, श्री जैनेन्द्र सिंह पुत्र श्री हनुमानसिंह भाटी, दायित्व सोशल वेलफेयर सोसायटी जरिये चैयरमेन श्री विजेन्द्र सिंह भाटी,				
विषयः–	राजस्व ग्राम उचियारड़ा के खसरा संख्या 76, 66/5, 66/6 रकबा 54.03.04 बीघा में फार्म हाउस प्रयोजनार्थ एकल बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा प्रकरण में निम्न तथ्य नोट किये गयेः–** 1. आवेदक द्वारा 54.03.04 बीघा भूमि का फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ आवेदन पेश किया गया था। प्रकरण प्राधिकरण की ले–आउट अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 22.01.2016 में निर्णयार्थ रखा जाकर अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया था तथा एकल भूखण्ड पट्टा जारी करने की स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया। 2. राज्य सरकार के पत्र दिनांक 08.09.2016 अनुसार उक्त प्रकरण में नियमानुसार 80 फीट चौडे मार्ग की आवश्यकता थी, जबकि 40 फीट ही उपलब्ध होना वताया गया है। 3. राज्य सरकार के उक्त पत्र. के क्रम में प्रकरण पुनः प्राधिकरण की ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 16.11.2016 में रखा जाकर पूर्व मे बैठक दिनांक 22.01.2016 को लिये गये निर्णय को प्रत्याहारित किया जाकर न्यूनतम पहुँच मार्ग के अभाव में निरस्त किया गया। 4. नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 7 मार्च 2018 के बिन्दु 8.2.1(j) के बिन्दु संख्या (III) के अनुसार फार्म हाउस के एकल पट्टा प्रकरण हेतु न्यूनतम पहुँच मार्ग 9 मीटर एवं फार्म हाउस की योजना होन की स्थिति में विभागीय आदेश क्रमांक प.(43)नविवि/3/2019 पार्ट दिनांक 12.08.2015 के अनुरूप रखा जाना अनिवार्य होगा। 5. प्राधिकरण द्वारा जरिये पत्रांक एफ–49/90–क/जोन–पूर्व/2018/3962 दिनांक 16.03.2018 को पत्र जारी कर प्रकरण में एकल पट्टा जारी करने की अनुमति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को लिखा गया। उक्त पत्र के क्रम में संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास विभाग द्वारा जरिये क्रमांक प.1(29)नविवि/जोधपुर/2016 जयपुर, दिनांक 04.09.2018 को पत्र भिजवाकर प्ररकण में फार्म हाउस प्रयोजनार्थ एकल पट्टा जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।				

	6. राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त प्राधिकरण कार्यालय द्वारा दिनांक 28.11.2018 को उक्त भूखण्ड का एकल पट्टा–विलेख मूल खातेदार द्वारा प्रस्तुत नॉमिनि/समनुदेशिति के नाम से जारी किया गया। 7. इसके पश्चात् प्रकरण में श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर सम्भाग, जोधपुर एवं पुलिस थाना रातानाडा में एक शिकायत दर्ज हुयी। प्रस्तुत शिकायत के संबंध में तत्कालीन सचिव महोदय, जोविप्रा द्वारा दिनांक 23.12.2020 के समक्ष रिपोर्ट तैयार कर भिजवाई गई, जिसके बिन्दु संख्या 1 के अनुसार *"ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 76 का ले–आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 16.11.2016 को निरस्त करते हुए आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। उपलब्ध आयोजना शाखा के रेकर्ड अनुसार आगामी बैठक में रख कर निर्णय का अभाव है। प्रकरण मे पुनः ले–आउट प्लान अनुमोदन संबंधि कार्यवाही नही हुई है। इस प्रकरण में जारी पट्टे को निरस्त करने की कार्यवाही अपेक्षित है।"* 8. प्रकरण में निदेशक विधि की टिप्पणी अनुसार *"राज्य सरकार द्वारा 30 फीट का प्रावधान करने के पश्चात् पट्टा जारी किया गया है, केवल ले–आउट समिति से अनुमोदन नही किया गया है। उक्त प्रकियात्मक एवं तथ्य की भूल है। जबकि विधिक प्रावधानों की अनुपालना होने पर पट्टा जारी होने के कारण विधि की भूल या उल्लंघन नही है। तथ्य की भूल को सुधारा जा सकता है। प्रश्नगत प्रकरण में विधि की भूल व उल्लंघन नही है। तथ्य व प्रकियात्मक त्रुटि है। अतः उक्त त्रुटि को दुर करने हेतु प्रकरण को ले–आउट समिति से अनुमोदन करवाकर दुर दुरस्त किया जाना उचित है। पट्टे को निरस्त करने की आवश्यकता नहीं है।"* **समिति द्वारा वाद विचार विमर्श एवं उपरोक्त तथ्यो के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में पूर्व ले–आउट प्लान समिति बैठक दिनांक 16.11.2016 में लिये गये निर्णय को प्रत्याहारित कर ले–आउट प्लान समिति बैठक दिनांक 22.01.2016 में उक्त प्रकरण में लिये गये निर्णय को यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया।**

एजेण्डा संख्या 09 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.09.2023	जोन–1	नान्दडा कलां	273/10, 274/6, 274/4	12.06.00 बीघा	आवासीय योजना

आवेदक	श्री दिनेश बूब पुत्र श्री रामजीवन, श्री रमेश रामनानी पुत्र श्री नैनमल
विषयः–	राजस्व ग्राम नान्दडा कलां के खसरा संख्या 273/10, 274/6, 274/4 रकबा 12.06.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौडाई मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 48 मीटर रखे जाने हेतु सडक मध्य से 24 मीटर में आ रही प्रार्थी की भूमि निशुल्क आरक्षित रखी जावें। 2. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 3. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें। 4. योजना का क्षेत्रफल 2 है0 से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा।

	5. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 6. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 9. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।

एजेण्डा संख्या 10 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.09.2023	जोन–1	नान्दडा कलां	242/1, 243/5	12.00.00 बीघा	आवासीय योजना

आवेदक	श्री कमलेश भट्टड पुत्र श्री माणकलाल भट्टड, श्रीमती सुशीला जयपाल पत्नी श्री नरेन्द्र
विषयः–	राजस्व ग्राम नान्दडा कलां के खसरा संख्या 242/1, 243/5 रकबा 12.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को समर्पित भूमि से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है, उक्त रास्ते की मौके पर सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 2. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 3. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें। 4. योजना का क्षैत्रफल 2 है0 से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 5. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 6. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 9. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।

एजेण्डा संख्या 11 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.09.2023	जोन–1	जालेली चम्पावता	50 / 14, 50 / 15	06.08.00 बीघा	वेयर हाउस एकल
आवेदक	श्री विवेक गर्ग पुत्र श्री वरिन्दर कुमार गर्ग				
विषयः–	राजस्व ग्राम जालेली चम्पावता के खसरा संख्या 50 / 14, 50 / 15 रकबा 06.08.00 बीघा में वेयर हाउस एकल प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर / जोनल डवलपमेन्ट प्लान अनुसार 60 मीटर रखी जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु सडक मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि में से आरक्षित रखी जावें। सड़क मार्गाधिकार पश्चात 30 मीटर गहराई की वृक्षारोपण पट्टी हेतु भूमि आरक्षित रखी जावे। 2. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 3. प्रार्थी द्वारा मिश्रित भू–उपयोग में वेयर हाउस प्रयोजनार्थ आवेदित किया गया है। अतः आस–पास भविष्य में होने वाले विकास के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु प्रार्थी की भूमि में न्यूनतम 09 मीटर का सुरक्षा बफर सैटबैक के रूप में रखा जाना सुनिश्चित किया जावें। 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें । 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। 6. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।				

एजेण्डा संख्या 12 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.09.2023	जोन–1	दांतीवाडा	426	10.04.02 बीघा में से 05.00.00 बीघा	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री भंवरलाल, श्री श्यामलाल, श्री भीकाराम पि. श्री मांगीलाल, श्रीमती शांन्ति पत्नी श्री मांगीलाल				
विषयः–	राजस्व ग्राम दातीवाडा के खसरा संख्या 426 रकबा 10.04.02 बीघा में से 05.00.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर / जोनल डवलपमेन्ट प्लान अनुसार 60 मीटर रखी जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु सडक मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि में से आरक्षित रखी जावें। सड़क मार्गाधिकार पश्चात 30 मीटर गहराई की वृक्षारोपण पट्टी हेतु भूमि आरक्षित रखी जावे। 2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित				

	नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 13 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.09.2023	जोन–1	कांकेलाव	1447/4 (90/क निर्णय पश्चात् नवीन खसरा संख्या 1447/6 दर्ज किया गया है)	1225 वर्गमीटर	पैट्रोल पम्प

आवेदक	श्री विक्रमसिंह गोरा पुत्र श्री मादाराम
विषयः–	राजस्व ग्राम कांकेलाव के खसरा संख्या 1447/4 (90/क निर्णय पश्चात् नवीन खसरा संख्या 1447/6 दर्ज किया गया है) रकबा 1225 वर्गमीटर में पैट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को राज्य राजमार्ग 68 से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा हैं अतः उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौडाई मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर रखे जाने हेतु सडक मध्य से 30 मीटर भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क आरक्षित रखी जावें। 2. राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 के प्रावधान 21.5 (5.2) अनुसार पेट्रोल पम्प में राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/बाईपास आदि प्रमुख सडकों के दोनों ओर प्रस्तावित 30 मीटर बफर जोन में हाईवें पर वाहनों की सुविधा हेतु उपयोग/गतिविधि यथा पेट्रोल पम्प (अधिकतम 35 मीटर X 30 मीटर), वे–ब्रिज/ऑटोमोबाईल वर्क शॉप आदि अनुज्ञेय किए जा सकेंगें तथापि ऐसे भूखण्डों पर निर्माण सडक के मार्गाधिकार के पश्चात् न्यूनतम 10 मीटर भूमि बफर हेतु छोडने के पश्चात् ही किये जा सकेंगें एवं इस 10 मीटर बफर में न्यूनतम 6.0 मीटर भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा। 3. एन.जी.टी के प्रावधानों की पालना की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किया जाना अनिवार्य है। उक्त के संबंध में प्रार्थी से शपथ पत्र लिया जावें। 4. आवेदित भूमि की 100 मीटर की परिधि में ज्वलनशील गतिविधि नही है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर से की जावें। 5. आवेदित भूमि की 50 मीटर की परिधि में पूर्व आवासीय/शैक्षणिक/हॉस्पीटल कमिटमेंट नही है बाबत सुनिश्चितता जोन स्तर से की जावें। 6. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड/संबंधित विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जावें। 7. प्रार्थी से संबंधित एजेन्सी पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया जावे जिसकी सुनिश्चितता पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व जोन स्तर पर की जावें। 8. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें। 9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत्

	शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 14 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.09.2023	जोन–1	कांकेलाव	419/1	04.00.00 बीघा	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री श्रवण गोधा पुत्र श्री ओमाराम				
विषयः–	राजस्व ग्राम कांकेलाव के खसरा संख्या 419/1 रकबा 04.00.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श आवेदित भूमि व सड़क कम मध्य गै.मु. आगौर की भूमि स्थित होने एवं आवेदित भूमि को विधिवत पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण पूर्व समिति बैठक दिनांक 12.04.2023 में लिये गये निर्णय को यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया।**				

एजेण्डा संख्या 15 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.09.2023	जोन–1	बासनी बैंदा	54/1/4	04.16.16 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	मैसर्स सिल्वर लाईन बिल्डहोम प्रा.लि जरिये डायरेक्टर श्री हर्षवर्धनसिंह पुत्र श्री करणसिंह				
विषयः–	राजस्व ग्राम बासनी बैंदा के खसरा संख्या 54/1/4 रकबा 04.16.16 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 60 फीट व 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 2. आवेदित भूमि के पीछे स्थित जोजरी नदी की आवेदित भूमि से राजस्व रिकॉर्ड अनुसार दुरी बाबत् रिपोर्ट प्राप्त कर जोनल डवलपमेंट प्लान के प्रावधान अनुसार वृक्षारोपण पट्टी एवम् सडक का प्रावधान योजना मानचित्र पर किया जावे। 3. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 4. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें। 5. योजना का क्षेत्रफल 2 है0 से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 6. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 7. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।				

	9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 10. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।

एजेण्डा संख्या 16 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.09.2023	जोन–1	खारडा रणधीर	79	11803 वर्गमीटर	व्यवसायिक योजना
आवेदक	प्राधिकरण की योजना				
विषयः–	प्राधिकरण की भूमि राजस्व ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 79 में व्यवसायिक योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बावत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श व्यवसायिक योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान को अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।**				

उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

06/09/2023

उप नगर नियोजक (द्वितीय)
एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांकः F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/ 1180-84 **दिनांकः–** 08/09/2023

प्रतिलिपी :– निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
02. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
03. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
04. उपायुक्त (जोन–1), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
05. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

06/09/2023

उप नगर नियोजक (द्वितीय)
एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट–"1"

भवन मानचित्र समिति जोन–1 (ले–आउट प्लान) की 22/2023 की बैठक दिनांक 05.09.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थीः–

1. श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। — अध्यक्ष
2. डॉ. हरीतिमा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। — सदस्य
3. श्री महेन्द्र चौधरी, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। — सदस्य
4. श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। — सदस्य
5. श्रीमति मृदुला शेखावत, उपायुक्त (जोन–1) जो.वि.प्रा. जोधपुर — सदस्य
6. श्री गणपत लाल सुथार, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। — सदस्य सचिव

06/09/2023

उप नगर नियोजक (द्वितीय)
एवं सदस्य सचिव